

—::आदेश::—

शासन के आदेश पत्रांक:-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29.03.2018, 4/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 03.04.2018, 569-सोलह-2-2018-7(ई)/2018, दिनांक 05.04.2018 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिपेक्ष में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर के आदेश पृ0सं0: 7852-72/ई-2-दो-265, दिनांक 31, मई, 2018 के द्वारा श्री पंकज कुमार गौतम, व्याख्याता आई0 टी0 का स्थानान्तरण राजकीय पॉलीटेक्निक, औराई, भदोही से राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, फैजाबाद किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री गौतम को दिनांक 06.06.2018 के अपराहन से इस निर्देश के साथ कार्यमुक्त किया जा रहा है कि तत्काल स्थानान्तरित संस्था में पदभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। श्री गौतम का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के कारण कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(मुकेश चन्द्र आनन्द)
प्रधानाचार्य

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, औराई, भदोही।

पृ0सं0: 493-97 / स्था0पी0एफ0 / 2018-19

दिनांक: 06.06.2018

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
2. संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र वाराणसी।
3. प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, फैजाबाद।
4. श्री पंकज कुमार गौतम, व्याख्याता आई0टी0 संस्थागत।
5. डॉ0 राजेश कुमार, व्याख्याता कम्प्यूटर को इस निर्देश के साथ कि श्री गौतम का बायोमैट्रिक मशीन से डाटा हटाना सुनिश्चित करें।

(मुकेश चन्द्र आनन्द)
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक औराई
भदोही